

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—95/2022 (2022/204) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. भंवरलाल पिता गोपीलाल खारोल निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. प्रताप पिता तलोक बलाई निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. जीवण पिता उदा व्यास बलाई निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. मोहनी पत्नि केला कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. सुवालाल पुत्र केला कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. चान्दी उर्फ चन्दा पत्नि नारायण कुमावत निवासी सुरास तह. रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. पुजा पुत्री नारायण कुमावत ना.बा.बे.वि. माता चान्दी निवासी सुरास तहसील रायपुर
7. पप्पु पुत्र नारायण कुमावत ना.बा.बे.वि. माता चान्दी निवासी सुरास तहसील रायपुर
8. रमेशचन्द्र पुत्र नारायण कुमावत ना.बा.बे.वि. माता चान्दी निवासी सुरास तहसील रायपुर
9. मथरा पुत्र अमरा कुमावत नवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. मांगीलाल पुत्र अमरा कुमावत नवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. रेवतलाल पुत्र अमरा कुमावत नवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. सुखलाल पुत्र अमरा कुमावत नवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. गोर्धन पुत्र डालु कुमावत नवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. प्रेमदेवी पत्नि डालु कुमावत नवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. मांगु पुत्र उदा कुमावत नवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16. अण्छी पत्नि जैराम कुमावत नवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
17. कस्तुरी पुत्री मांगु कुमावत नवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
18. भुरा पुत्र खमाण कुमावत नवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
19. लाडुबाई पत्नि खमाण कुमावत नवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
20. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल०आर०एक्ट

उपस्थित

1. सुनिल बापना —

प्रार्थी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 28.06.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है राजस्व ग्राम बोराणा पटवार हल्का बोराणा तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की आराजी संख्या 3720 रकबा 0.15 है०, आराजी संख्या 3721

रकबा 0.15 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.30 है0 भूमि दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नहीं होने से प्रार्थी को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीया को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते रहे है। प्रार्थी ने दिनांक 25.05.2022 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय में दिनांक 01.06.2022 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 20 बावजुद सूचना के उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही की गई। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होने का कोई अन्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थी खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानुनन स्वीकार योग्य नहीं है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बोराना पटवार हल्का बोराना तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की आराजी संख्या 3720 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 3721 रकबा 0.15 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.30 है0 भूमि दर्ज होकर स्थित है। जिसकी पत्थरगढी कराये जाने हेतु सम्बंधित भू-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी शुल्क 200/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर में दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।



(सुन्दरलाल बम्बोडा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—95/2022 (2022/204) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. भंवरलाल पिता गोपीलाल खारोल निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. प्रताप पिता तलोक बलाई निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. जीवण पिता उदा व्यास बलाई निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. मोहनी पत्नि केला कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. सुवालाल पुत्र केला कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. चान्दी उर्फ चन्दा पत्नि नारायण कुमावत निवासी सुरास तह. रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. पुजा पुत्री नारायण कुमावत ना.बा.बे.वि. माता चान्दी निवासी सुरास तहसील रायपुर
7. पप्पु पुत्र नारायण कुमावत ना.बा.बे.वि. माता चान्दी निवासी सुरास तहसील रायपुर
8. रमेशचन्द्र पुत्र नारायण कुमावत ना.बा.बे.वि. माता चान्दी निवासी सुरास तहसील रायपुर
9. मथरा पुत्र अमरा कुमावत नवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. मांगीलाल पुत्र अमरा कुमावत नवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. रेवतलाल पुत्र अमरा कुमावत नवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. सुखलाल पुत्र अमरा कुमावत नवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. गोरधन पुत्र डालु कुमावत नवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. प्रेमदेवी पत्नि डालु कुमावत नवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. मांगु पुत्र उदा कुमावत नवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16. अण्ठी पत्नि जैराम कुमावत नवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
17. कस्तुरी पुत्री मांगु कुमावत नवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
18. भुरा पुत्र खमाण कुमावत नवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
19. लाडुबाई पत्नि खमाण कुमावत नवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
20. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :-तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढी कराने बाबत

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 28.06.2022 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि ग्राम बोराणा पटवार हल्का बोराणा तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की आराजी संख्या 3720 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 3721 रकबा 0.15 है0 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.30 है0 भूमि दर्ज होकर स्थित है।

इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी शुल्क 200/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढी अगर प्रार्थी की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 28.06.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।



(सुन्दरलाल बम्बोडा)

उपखण्ड अधिकारी

सहायक कलर
रायपुर जिला भीलवाड़ा
रायपुर (भीलवाड़ा)